न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 12/2017 (76 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00239

उनवान

रामेश्वर पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम सहना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उच्चैन जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 27.09.2017 प्र. संख्या 60/2017 उनवानी रामेश्वर बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक– 22.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 27.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का सहना द्वारा तहत न्यायालय नायब तहसीलदार उच्चैन के समक्ष प्रतिवादी/अपीलाण्ट के विरूद्ध 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने संवत 2074 में खसरा नम्बर 1042/128 रकबा 04 बीघा 06 विस्वा गै0मु0 पोखर पर 0.01 विस्वा पर झोंपडी व खाली जगह पर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर तहत न्यायालय नायब तहसीलदार उच्चैन ने कार्यवाही करते हुये प्रतिवादी/अपीलाण्ट को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने एवं पैनल्टी आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज फरमा दी। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व मौके के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व रिकार्ड का कतई अवलोकन नहीं किया। जिस रिपोर्ट दिनांक 01.08.2017 के आधार पर अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही शुरू की गई है उस रिपोर्ट में यह कही भी वर्णित नही हैं कि अपीलाण्ट ने गैर मुमकिन पोखर के खसरा नम्बर पर किस प्रकार से अतिक्रमण किया गया है। अपीलांट का गैर मुमकिन पोखर पर कोई कब्जा काश्त नहीं है बल्कि अपीलाण्ट का कब्जा अपनी खरीद शुदा जमीन खसरा नम्बर 1043 रकवा 02 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 186 निर्मित किया गया है पर ही कब्जा है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि पैमाईश एक तरफा में बिना सम्पूर्ण रिकार्ड व नक्शे, मनमानी तरीके से की गयी है। इस पैमाईश रिपोर्ट में कई विरोधाभास जैसे पानी भरा होने के कारण जरीब चलाने में मुश्किल होना अपीलाण्ट के कब्जे काश्त के खसरा नम्बर 186 का रकवा पूरा नहीं होना आदि अंकित है। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का के जो बयान दर्ज हुये उसमें भी जिरह में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट मौके पर तैयार नहीं की जाकर तहसील में जाकर नायब तहसीलदार द्वारा किये जाने बाबत् व मौके पर जरीब नहीं चलाने बाबत बयान दिये हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की हैं। अपीलाण्ट का अपनी आराजी पर कब्जा काश्त है और उसी पर निर्माण हो रखा है व बिजली का कनेक्शन ले रखा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके अपीलाण्ट ने विवादित भूमि गैर मुमकिन पोखर पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलाण्ट के अतिक्रमण की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट साबित होती है। अतः अपील अपीलाण्ट आधारहीन होने के कारण काबिले खारिजी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवदेन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने सम्वत 2074 में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवादित आराजी खसरा नम्बर 1042/128 रकवा 04 बीघा 06 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर वाके ग्राम सहना तहसील रूपवास पर झोपडी आदि डालकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलाण्ट का यह कथन कि पैमाईश विरोधाभाषी है। अपीलाण्ट ने उक्त पैमाईश रिपोर्ट के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध पैमाईश रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि पैमाईश रिपोर्ट, किसी एक पटवारी की ना होकर वकायदा टीम गठित कर की गयी है जिसमें टीम में गठित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद हैं एवं उक्त पैमाईश रिपोर्ट में अतिक्रमित रकवा गैर मुमकिन पोखर की आराजी का पाया गया है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन पोखर है, जिसमें अतिक्रमी को बेदखल किया गया है। इस प्रकार विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिसका संरक्षण महत्वपूर्ण है एवं अनेक न्यायिक निर्देश भी इस बाबत् जारी हो चुके हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा उचित रूप से अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त पाये जाने पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपील सम्यक रूप से खारिज की गयी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गैर मुमकिन पोखर की भूमि पर अतिक्रमी अपीलाण्ट को कोई स्वत्व/अधिकार प्राप्त नही होते हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन एवं गलत तथ्यों पर है जो काबिल खारिजी है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपीलाधीन आदेश को किसी भी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 27.09.2017 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाये जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 22.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर